



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26062021-227920
CG-DL-W-26062021-227920

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 13—जून 19, 2021 शनिवार/ज्येष्ठ 23—ज्येष्ठ 29, 1943

No. 21] NEW DELHI, JUNE 13—JUNE 19, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 23—JYAISTHA 29, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

का.आ. 356.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों में 80% से अधिक कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, इन कार्यालयों को अधिसूचित करती है:-

सीमा सुरक्षा बल

क्षेत्रीय मुख्यालय,
सीमा सुरक्षा बल,

जोवाई, पुराना अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग,
कैन्ट एरिया, जी एस रोड अंजलि पेट्रोल पंप कि नजदीक,
शिलांग, मेघालय-793001

सशस्त्र सीमा बल

1. 53वीं बटालियन,
सशस्त्र सीमा बल,
सिमलाबाड़ी-फालाकाटा, जिला-अलीपुरद्वार,
पश्चिम बंगाल-735211
2. 65 वीं बटालियन,
सशस्त्र सीमा बल,
बेतिया, जिला-पश्चिमी चम्पारण,
बिहार-845105

[फा. सं. 11029/01/2019-हिन्दी]

सहेली घोष राँय, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th June, 2021

S.O. 356.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Home Affairs, wherein morethan 80% of staff have attained the working knowledge of hindi.

Border Security Force

Sector Headquarter,
Border Security Force, Jowai,
Old Arunachal Pradesh Building,
Cant Area, G. S. Road, Near Anjali Patrol Pump,
Shillong, Meghalaya-793001

Sashastra Seema Bal

1. 53rd Battalion,
SSB, Simlabari-Falakata, Distt- Alipurduar,
West Bengal-735211
2. 65th Battalion,
SSB, Bettiah, Distt-West Champaran,
Bihar-845105

[F. No. 11029/01/2019 -Hindi]

SEHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 357—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बी. पी. विजयेन्द्र के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री के. पी. पटनायक (जन्म तिथि: 18.4.1965) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, पंजाब एंड सिंध बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 357.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Shri K. P. Patnaik (date of birth: 18.4.1965), Regional Director, Reserve Bank of India as director on the Board of Punjab and Sind Bank with immediate effect and until further orders, *vice* Shri B. P. Vijayendra.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 358.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अजय कुमार के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक की सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, सुश्री पार्वती वी. सुंदरम (जन्म तिथि: 24.11.1959) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 358.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Parvathy V. Sundaram (date of birth: 24.11.1959), retired Executive Director, Reserve Bank of India as director on the Board of Bank of Baroda with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Ajay Kumar.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 359.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री चंदन सिन्हा के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री अनिल कुमार शर्मा (जन्म तिथि: 8.3.1963) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 359.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955, the Central Government hereby nominates Shri Anil Kumar Sharma (date of birth: 8.3.1963), Executive Director, Reserve Bank of India as director on the Central Board of State Bank of India with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Chandan Sinha.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2021

का.आ. 360.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अजय सेठ (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्री तरूण बजाज के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वाल्यूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 24th April, 2021

S.O. 360.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Ajay Seth (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Tarun Bajaj.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol-II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

का.आ. 361.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री टी. रवि शंकर (जन्मतिथि 14.3.1963) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/1/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd May, 2021

S.O. 361.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government hereby appoints Shri T. Rabi Sankar (date of birth: 14.3.1963), Executive Director, Reserve Bank of India as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a period of three years from the date of joining the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/1/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

का.आ. 362.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री वन्दिता कौल (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक सुश्री दक्षिता दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वाल्यूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2021

S.O. 362.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Vandita Kaul (Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Ms. Dakshita Das.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

का.आ. 363.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ संजय कुमार (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्री आनंद मधुकर के स्थान पर यूको बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वालयूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2021

S.O. 363.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Dr. Sanjay Kumar (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of UCO Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Anand Madhukar.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

का.आ. 364.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री हर्षिकेश अरविन्द मोदक (उप सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक सुश्री वंदिता कौल के स्थान पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वालयूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2021

S.O. 364.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Hrisheekesh Arvind Modak (Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of Bank of Maharashtra, with immediate effect and until further orders, *vice* Ms. Vandita Kaul.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

का.आ. 365.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, श्री बृज मोहन शर्मा (जन्म तिथि 23.6.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और उनके अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 30-06-2023) प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 19th May, 2021

S.O. 365.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Brij Mohan Sharma (date of birth: 23.6.1963), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director, Canara Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.* 30.6.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 366.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री महेश कुमार जैन (जन्म तिथि : 5.5.1961) की मौजूदा कार्यावधि के दिनांक 21.06.2021 को पूरा होने पर, उन्हें दिनांक 22.6.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/6/2013-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 366.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government, hereby re-appoints Shri Mahesh Kumar Jain (date of birth: 5.5.1961) as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a period of two years with effect from 22.6.2021, or until further orders, whichever is earlier, upon completion of his existing term on 21.6.2021.

[F. No. 1/6/2013-BO-I]

S. R. MEHAR, Director

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जून, 2021

का.आ. 367.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 02 जनवरी, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1107, तारीख 31 दिसम्बर, 2020 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय कोर-7, एनटीपीसी भवन, स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (एनटीपीसी लिमिटेड और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि का माप 1042.73 हेक्टेयर (लगभग) या 2575.54 एकड़ (लगभग) उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 02 जनवरी, 2021 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित सभी प्रतिकर, व्याज, नुकसानियों, इत्यादि और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी ;
- (2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील, आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
- (4) सरकारी कंपनी के पास उक्त भूमि और उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/40/2017- एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 15th June, 2021

S.O. 367.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1107, dated the 31st December, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd January, 2021 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the lands and the all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited, Registered Office and H.O. Core-7, NTPC Bhawan, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 (A joint venture of NTPC Limited and Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited) (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands measuring 1042.73 hectares (approximately) or 2575.54 acres (approximately) and all rights in or over the said lands so vested shall with effect from 2nd January, 2021 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (1) the Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;
- (2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government company;
- (3) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) the Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested to any other person without the prior approval of the Central Government; and
- (5) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/40/2017-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.